फर्द अहकाम

(नियम–26)

बअदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
खेतसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत, निवासी मेगे का गांव तहसील शिव , जिला बाड़मेर वगैरा (03)		खीमसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपूत, निवासी मेगे का गांव तहसील शिव जिला बाड़मेर वगैरा (07)

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 212)

मुकदमा नम्बर 183/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.10.2022	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील श्री बालाराम गोदारा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 19.10.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
19/10/22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 31/10/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
31.10.22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के तामिलशुदा नोटिस पेश किये, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन करने पर प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम स्थगन पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी अंतरिम बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पैतृक कब्जा काश्त एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मेगे का गांव के खसरा नम्बर 48, 161/38, 163/21, 85, 139/62 में कुल	

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
13.05.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में पैरवी हेतु न्यायालय समय में प्रार्थी व प्रार्थी वकील को रू० रू० आवाजे दी जाने के बावजूद अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने से, पत्रावली इसी स्टेज पर, अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner